न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूँगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 01/2022 दायर दिनांक 02.02.2022
जीसीएमएस नं. 2022/1 निर्णय दिनांक 13.08.2025

उनवान

1. जगजी पाटीदार पिता वालजी पाटीदार निवासी भासोर तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर।
2. माधव पाटीदार पिता जगजी पाटीदार निवासी भासोर तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर।
– अपीलाण्ट

बनाम

1. मोगी पत्नि वेलजी पाटीदार निवासी भासोर तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर।
2. वेलजी पिता पेमजी पाटीदार निवासी भासोर तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर।
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार सागवाडा जिला डूंगरपुर

– रेस्पोडेण्ट्स

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970

उपस्थित – 1.श्री मुकेश कुमार भट्ट – अपीलाण्ट अभिभाषक
2. श्री संजीव भटनागर – रेस्पोडेन्ट अभिभाषक (रेस्पोडेण्ट 1 व 2 की ओर से)

–:निर्णयः– **दिनांक – 13.08.2025**

1. अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 व प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण मौजा भासौर के स्थायी निवासी है। मौजा भासोर के खसरा संख्या 6817/392 रकबा एक बीघा दस बिस्वा भूमि पर प्रार्थी द्वारा करीब चालीस वर्ष से भी अधिक समय से कब्जा है। वादग्रस्त भूमि पर विपक्षी संख्या एक श्रीमती मोगी तथा श्री पेमजी पाटीदार कभी भी कब्जा नही रहा है।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

प्रार्थीगण की बिना जानकारी रेस्पोडेण्ट को खसरा संख्या 6817/392 रकवा एक बीघा दस बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 25.10.2001 को उपखंड अधिकारी सागवाडा के द्वारा मिसल संख्या 151 दिनांक 20.10.2001 के द्वारा किया गया है। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 6817/392 रकबा एक बीघा दस बिस्वा भूमि पर अभी भी प्रार्थीगण का कब्जा वना हुआ है। तथा प्रार्थीगण ने इस भूमि को मेहनत मजदूरी कर तथा आर्थिक व्यय कर काश्त किये जाने के योग्य बनाया है। उपखंड अधिकारी सागवाडा ने विपक्षी संख्या एक व दो को आवंटन के नियमो की अनदेखी कर बिना किसी प्रकार की जांच पडताल किये भूमि का आवंटन किया है। उक्त भूमि आवंटन की गई दिनांक को विपक्षी संख्या एक व दो आवंटन के प्रावधानों के अनुसार भूमि आवंटन कराने का पात्र व्यक्ति नही था क्योंकि आवंटन की दिनांक को श्रीमती मोगी का तथा श्री पेमजी का आवंटित की गयी भूमि पर काश्त कब्जा ही नही था। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र मे आवेदक के स्थान पर किसी अन्य का नाम अंकित था जिसको काट कर विपक्षीगण का नाम अंकित किया गया है।

वादग्रस्त आराजी पर भूमि किसी प्रकार का कब्जा नही होने पर भी पटवारी से मिल कर षडयंत्र कर वास्तविक तथ्यों को छिपाकर पटवारी के द्वारा गलत तथ्यों को अंकित कर आवंटन करा लिया है। प्रार्थीगण को धारा 91 राज. भू. राज. अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस दिये गये है तथा इस भूमि की पेनल्टी भी समय समय पर प्रार्थीगण के द्वारा जमा कराई गई है प्रार्थीगण के द्वारा उक्त खसरा संख्या 6817/392 रकबा एक बीघा दस बिस्वा भूमि मे काश्त किये जाने के तथ्य राजस्व रेकॉर्ड मे भी अंकित है। इस प्रकार विपक्षीगण को आवंटित की गयी भूमि वास्तव मे रिक्त नही थी और आवंटन किये जाने योग्य नही होने पर भी विपक्षीगण को उक्त भूमि को आवंटित किया गया है। विपक्षीगण के द्वारा आवंटन नियमो का कभी पालन नही किया गया है । आवंटन होने के प्रथम वर्ष मे आधी भूमि पर तथा द्वितीय वर्ष मे संपूर्ण भूमि पर काश्त करना आवश्यक है। फिर भी राजस्व अधिकारीयों ने नियमों की अनदेखी कर विपक्षी संख्या एक व दो को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये है। इस कारण आवंटन का तथा खातेदारी प्रदान करने का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि विपक्षी संख्या एक व दो को खसरा संख्या 6817/392 रकबा एक बीघा दस बिस्वा भूमि का किया गया आवंटन आदेश खारिज फरमावे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी जरिये सम्मन जारी कर की गई । रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री संजीव भटनागर द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश किया।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

3. अपीलाण्ट द्वारा पेश अपील प्रार्थना पत्र का रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब पेश किया। जवाब का सक्षिप्त सार इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी मौजा भासौर के खसरा नंबर 6817/392 में दिनांक 25.10.2001 को विपक्षीगण को 1 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि कैम्प मे समस्त गांव वालों की मौजूदगी मे आवंटित हुई तथा आवंटित भूमि की खातेदारी अधिकार भी विपक्षीगण को दिनांक 22.10.2005 को प्राप्त हो चुके है। विपक्षीगण अपनी भूमि पर काबिज है। विपक्षीगण को खसरा नंबर 6817/392 एवं प्रार्थीगण को खसरा नंवर 6752/385 में दिनांक 25.10.2001 एक ही दिन भूमि श्रीमान उपखंड अधिकारी, महोदय सागवाडा ने आवंटित की है तथा एक ही दिन दिनांक 22.10.2005 को दोनो को अपनी आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हुऐ है। प्रार्थीगण को विपक्षीगण की भूमि आवंटन की जानकारी आवंटन के समय से है। प्रार्थीगण ने आवंटन के समय अथवा खातेदारी अधिकार प्राप्त के समय कभी आवंटन व कब्जे के संबंध में कोई आपत्ति नही की। अब यह अपील आवंटन के लगभग 20 वर्ष पश्चात गलत व झुठे तथ्यों पर पेश की है। विपक्षीगण अपनी भूमि पर काबिज है तथा नियमित उडद व तिल की दो फसल की उपज प्रतिवर्ष ले रहे है। विपक्षीगण के आवंटन मे कोई कांट छांट है। तो यह लेखन की त्रुटि मात्र है, इस तथाकथित कांट छांट से आवंटन पर किसी प्रकार विपरीत प्रभाव नहीं पडता।
प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत की कोरम से सांठ गांठ कर गलत मौका रिपोर्ट तैयार करवाई है। उक्त तथाकथित मौका निरीक्षण में विपक्षीगण को नहीं बुलाया रिपोर्ट एक तरफा तैयार की गई है तथा वैसे भी वादग्रस्त खसरा का रकबा बडा है ऐसे में मौका रिपोर्ट विपक्षीगण को आवंटित भूमि से संबंधित हो साबित नहीं होता। प्रार्थीगण व विपक्षीगण दोनो के आवंटन एक ही दिन दिनांक 25.10.2001 को हुए है। प्रार्थीगण को विपक्षीगण के आवंटन की जानकारी आवंटन दिनांक 25.10.2001 से है। दरखास्त 20 वर्ष पश्चात विपक्षीगण को खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात पेश की गई है। प्रार्थीगण ने अपने आवंटन के तात्तविक तथ्यों को छिपा कर अपील पेश की है ऐसे मे अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का अपील प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

4. हमने अपील प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सूनी।

5. अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा भासोर के खसरा संख्या 6817/392 रकबा एक बीघा दस बिस्वा भूमि पर प्रार्थी द्वारा करीब चालीस वर्ष से भी अधिक समय से कब्जा है। वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेण्ट्स का कभी भी कब्जा नही रहा है।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

प्रार्थीगण की बिना जानकारी रेस्पोडेण्ट को खसरा संख्या 6817/392 रकवा एक बीघा दस बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 25.10.2001 को किया गया है। उपखंड अधिकारी सागवाडा द्वारा आवंटन के नियमो की अनदेखी कर बिना किसी प्रकार की जांच पडताल किये भूमि का आवंटन किया है।

अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेण्ट का किसी प्रकार का कब्जा नही होने पर भी पटवारी से मिल कर षडयंत्र कर वास्तविक तथ्यों को छिपाकर पटवारी के द्वारा गलत तथ्यों को अंकित कर आवंटन करा लिया है। प्रार्थीगण को धारा 91 राज. भू. राज. अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस दिये गये है तथा इस भूमि की पेनल्टी भी समय समय पर प्रार्थीगण के द्वारा जमा कराई गई है । विपक्षीगण को आवंटित की गयी भूमि वास्तव मे रिक्त नही थी और आवंटन किये जाने योग्य नही होने पर भी विपक्षीगण को उक्त भूमि को आवंटित किया गया है। विपक्षीगण के द्वारा आवंटन नियमो का कभी पालन नही किया गया है । आवंटन होने के प्रथम वर्ष मे आधी भूमि पर तथा द्वितीय वर्ष मे संपूर्ण भूमि पर काश्त करना आवश्यक है। फिर भी राजस्व अधिकारीयों ने नियमों की अनदेखी कर विपक्षी संख्या एक व दो को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये है। इस कारण आवंटन का तथा खातेदारी प्रदान करने का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि विपक्षी को किया गया आवंटन आदेश खारिज फरमावे।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट स. 01 व 02 की ओर अपनी बहस में जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी मौजा भासौर के खसरा नंबर 6817/392 में दिनांक 25.10.2001 को विपक्षीगण को 1 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि कैम्प मे समस्त गांव वालों की मौजूदगी मे आवंटित हुई। आवंटित भूमि की खातेदारी अधिकार भी विपक्षीगण को दिनांक 22.10.2005 को प्राप्त हो चुके है। विपक्षीगण को खसरा नंबर 6817/392 एवं प्रार्थीगण को खसरा नंबर 6752/385 में दिनांक 25.10.2001 एक ही दिन भूमि श्रीमान उपखंड अधिकारी, महोदय सागवाडा ने आवंटित की है तथा एक ही दिन दिनांक 22.10.2005 को दोनो को अपनी आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हुऐ है। प्रार्थीगण को विपक्षीगण की भूमि आवंटन की जानकारी आवंटन के समय से है। यह अपील आवंटन के लगभग 20 वर्ष पश्चात गलत व झुठे तथ्यों पर पेश की है। विपक्षीगण अपनी भूमि पर काबिज है तथा नियमित उडद व तिल की दो फसल की उपज प्रतिवर्ष ले रहे है। विपक्षीगण के आवंटन मे कोई कांट छांट है। तथाकथित कांट छांट से आवंटन पर किसी प्रकार विपरीत प्रभाव नहीं पडता।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत की कोरम से सांठ गांठ कर गलत मौका रिपोर्ट तैयार करवाई है। मौका निरीक्षण में विपक्षीगण को नहीं बुलाया। मौका रिपोर्ट विपक्षीगण को आवंटित भूमि से संबंधित हो साबित नहीं होता। रेस्पोडेण्ट द्वारा अपील 20 वर्ष पश्चात विपक्षीगण को खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात पेश की गई है। प्रार्थीगण ने अपने आवंटन के तात्तविक तथ्यों को छिपा कर अपील पेश की है ऐसे मे अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का अपील प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

7. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकोर्ड/दस्तावेज का ध्यायनपूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी मौजा भासौर के खसरा न. 6817/392 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा है0 भूमि का आवंटन दिनांक 25.10.2001 को उपखण्ड अधिकारी सागवाडा के मिसल संख्या 151/2001 दिनांक 20.10.2001 के द्वारा रेस्पोडेण्ट सं. 1 व 2 को आवंटित हुई। आवंटित भूमि का आवंटी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरण स.1370 दिनांक 16.12.2001 को खोला जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हुआ। आवंटी को खातेदारी अधिकार नामान्तरण स. 1677 दिनांक 25.11.2005 द्वारा प्रदान किये जाकर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी का अंकन किया गया। इस प्रकार आवंटी को गैर खातेदारी से खातेदारी हक प्राप्त हो चुके है।

अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कब्जा होना, विपक्षीगण का कब्जा काश्त नहीं होना, एवं आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो के पालना नहीं किया जाना अकंन किया है। अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्रो के कथनों में सम्बन्ध कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपीलाण्ट द्वारा कब्जे के सबंध में धारा 91 के जो नोटिस प्रस्तुत किये है उनसे यह कदापि साबित नहीं होता है कि आवंटी को आवंटित आराजी से सम्बन्धित यह नोटिस है क्योकि आवंटन से पूर्व खसरा न 392/2 का रकबा बड़ा था, जिसमें से रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा आवंटन किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार सागवाडा की मौका रिपोर्ट अनुसार रेस्पोडेण्ट स. 01 व 02 भूमिहीन कृषक की श्रेणी में होने से नियमानुसार आवंटन किया गया है। आवंटन पश्चात संवत् 2076 फसल खरीफ की गिरदावरी में सोयाबीन फसल दर्ज रिकोर्ड है । अतः मौके पर रेस्पोडेण्ट स. 01 व 02 का ही कब्जा है।

आवंटन वर्ष 2001 का है, जिसको लगभग 24 वर्ष हो चुके है। आवंटी द्वारा आवंटन के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति थी तो आवंटन के समय प्रस्तुत करनी थी। अब आवंटी को

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

खातेदारी हक प्राप्त होने के पश्चात यह अपील प्रस्तुत करना न्यायसंगत नहीं है। साथ ही अपीलाण्ट की ओर से अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में एवं बहस में दी गयी दलीलों की पुष्टि में ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिसके आधार पर अपीलाण्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त साबित होता है। अपीलाण्ट की ओर से बिना किसी आधार के यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 बिना किसी आधार पर पेश करने से अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है एवं आवंटन दिनांक 25.10.2001 को उपखण्ड अधिकारी सागवाडा के मिसल संख्या 151/2001 दिनांक 20.10.2001 के द्वारा रेस्पोडेण्ट सं. 1 व 2 को आवंटित आराजी खसरा नम्बर 6817/392 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन आदेश को यथावत बहाल रखने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 13.08.25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(दिनेश धाकड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर